न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री भगवत शरण त्यागी (आर0ए0एस0)

उनवान

रामविलास बनाम भगवानदास

1. रामविलास पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर
2. रामचरन पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर
3. कश्मीरा पत्नी राजकपूर जाति जाटव निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर
4. कृष्णकुमार पुत्र भगवान सिह जाति कोली निवासी भगरीपुरा पिपरौन तह0 बरोडी धौलपुर राज0

वादीगण :–

बनाम

1. भगवानदास पुत्र रमेश जाति धोबी निवासी ग्राम अलीगढ तह0 बाडी हाल आवाद गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0
2. हरप्यारी पत्नी पैमा जाति जाटव निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर (मृतक)
   2/1 महादेवी पत्नी हरीसिंह पुत्री हरप्यारी जाति जाटव निवासी सागरपाडा धौलपुर
   2/2 रामवती पत्नी ओमप्रकाश पुत्री हरप्यारी जाति जाटव निवासी सागरपाडा धौलपुर
3. सुनीता पत्नी राकेश जाति जाटव निवासी गुमट बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0

प्रतिवादीगण :–

4. तहसीलदार तहसील बाडी बहैसियत लैण्ड होल्डर

तरतीवी प्रतिवादी :–

उपस्थित वादीगण के वकील – श्री रवि पचौरी एड0

प्रतिवादीगण के वकील – श्री रामदीश भारद्वाज एड0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0

दावा सं. 117/2024

दिनांक :– 22.04.2025

निर्णय

दावा वादीगण दिनांक 25.02.2025 को प्राथमिक डिकी किया जाकर प्रश्नगत आराजी परिशिष्ट क खसरा नम्बर 865 रकवा 0.3035 हैक्टे0, 956 रकवा 0.3920 हैक्टे0, 976 रकवा 0.3415 हैक्टे0 कुल किता 3 कुल रकवा 1.0370 हैक्टे0 एवं आराजी परिशिष्ट ख खसरा नम्बर 1218/973 रकवा 0.0632 हैक्टे0, 1220/973 रकवा 0.2254 हैक्टे0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.2886 हैक्टे0 बांके ग्राम निधारा तह0 बाडी जिला धौलपुर के कृषिजोत विभाजन प्रस्ताव जरिये माप व सीमांकन अच्छे में से अच्छा व बुरे में से बुरा मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाडी को प्राथमिक डिकी की प्रति भेजी गई। तहसीलदार बाडी ने कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में

प्रस्तुत किये। तत्पश्चात बहस कुर्रेजात पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष द्वारा कुर्रेजात मे अंकित मृतक हरप्यारी पत्नी पैमा के स्थान पर उसके वारिसान 2/1 व 2/2 को खातेदार काश्तकार अंकित करने का निवदन किया तथा खातेदारान का नाम कुर्रेजात के अनुसार अंकित किये जाने मे अपनी सहमति व्यक्त की। पत्रावली मे सलग्न दस्तावेजात एव तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। कुर्रेजात मे हल्का पटवारी द्वारा प्रति0 हरप्यारी पत्नी पैमा की मृत्यु होना अंकित किया है तथा वाद मे प्राथमिक डिकी के बाद हरप्यारी के वारिसान प्रति0 स0 2/1 व 2/2 को पक्षकार बनाया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे हरप्यारी के स्थान पर उसके वारिसान का नाम रिकार्ड मे अंकित किया जाना उचित है। मेरी राय में वादीगण का वाद अन्तिम डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर मृतक हरप्यारी के स्थान पर उसके वारिसान का नाम अंकित करते हुए निम्नानुसार अन्तिम डिकी किया जाकर वादीगण व प्रति0 के नाम तदनुरुप रिकार्ड पटवार ग्राम निधारा तह0 बाडी में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. कृष्ण कुमार पुत्र भगवानसिह जाति कोली हि0 3386/3716 निवासी भगरीपुरा पिपरौन तह0 बसेडी खातेदार, सुनीता पत्नी राकेश हि0 330/3716 जाति जाटव निवासी गुमट बाडी

खसरा नं0	रकवा
1218/973	0.0632
1220/973	0.2254
976/2	0.0830

कुल किता 3 कुल रकवा 0.3716

2. कश्मीरा पत्नी राजकपूर हि0 1723/6505, महादेवी पत्नी हरीसिंह व रामवती पत्नी ओमप्रकाश निवासी सागरपाडा धौलपुर हि0 374/6505, रामचरन, रामविलास पुत्रान रामदयाल हि0ब0 4408/6505 कौम जाटव सा0 गुमट बाडी

खसरा नं0	रकवा
956	0.3920
976/1	0.2585

कुल किता 2 कुल रकवा 0.6505

3. कृष्ण कुमार पुत्र भगवानसिह जाति कोली हि0 330/3035 निवासी भगरीपुरा पिपरौन तह0 बसेडी खातेदार, भगवानदास पुत्र रमेश हि0 2705/3035 जाति धोबी निवासी अलीगढ खातेदार

खसरा नं0	रकवा
865	0.3035

कुल किता 1 कुल रकवा 0.3035

Scanned with OKEN Scanner

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। रहन का इन्द्राज यथावत रहेगा। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे बाद बंटवारा वादीगण के हिस्से में आयी आराजी में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा न करें। निर्णय अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (पाली) राज